न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2018
निगरानी-4701/2018/अशोकनगर/भू.रा.

जलील खॉ पुत्र श्री लाल खॉ, निवासी ग्राम इकौदिया, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म0प्र0)

—— निगरानीकर्ता

बनाम

1— शैतानसिंह पुत्र श्री बसोरीलाल अहिरवार, ग्राम इकौदिया, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म0प्र0)

2— मध्य प्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार, मुंगावली, जिला अशोकनगर (म0प्र0)

——प्रतिनिगरानीकर्त्ता

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी अन्तर्गत धारा 50, म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मुंगावली जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 02/अ—12/2017—18 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:—

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4701/2018/अशोकनगर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के सीमांकन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली जिला अशोकनगर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली</u>**	